10 के पिता/पति सन्तराम के मृत्यु प्रमाण पत्र कि छांया प्रति प्रदर्ष–2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। वाद पत्र के संलग्न जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता/पती का नाम जगराम है। तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता/पति का नाम सन्तराम उर्फ मांगिलाल है। अतः मौजा जानेवापूर्व के खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 5/200 रकबा 9.4696 में दर्ज खातेदार शिवड़ी पत्नी जगराम, रामकिशोर, सुरेश, संगिता, लिछमा पिता जगराम के स्थान पर शिवड़ी पत्नी सन्तराम उर्फ मांगिलाल, रामकिशोर, सुरेश, संगिता, लिछमा पिता सन्तराम उर्फ मांगिलाल शुद्ध किया जाकर वाद पत्र को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 व 8 से 10 क्रमशः ईम्मूदेवी, गेकुदेवी, चम्पादेवी, जमनादेवी, तुलछादेवी, लिछमा, सिवड़ी, संगिता ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. मौजा जानेवापूर्व के खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 5/200 रकबा 9.4696 में दर्ज खातेदार शिवड़ी पत्नी जगराम, रामकिशोर, सुरेश, संगिता, लिछमा पिता जगराम के स्थान पर शिवड़ी पत्नी सन्तराम उर्फ मांगिलाल, रामकिशोर, सुरेश, संगिता, लिछमा पिता सन्तराम उर्फ मांगिलाल शुद्ध किये जाने कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी मोहनराम के कब्जा काश्त एवं बंट में मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नम्बर 5/200 रकबा 9.4696 हैक्टेयर में से 4.7348 हैक्टेयर (आधा हिस्सा) पश्चिमि दिशा में नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 6 रामकिशोर (नाबालिग) के जरिये वालिया माता शिवड़ी के कब्जा काश्त एवं बंट मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नम्बर 5/200 रकबा 9.4696 हैक्टेयर में से 2.3674 हैक्टेयर (1/4 हिस्सा) उत्तरी–पूर्वी कोना नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

Read

4. प्रतिवादी संख्या 7 सुरेश के कब्जा काश्त एवं बंट मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नम्बर 5/200 रकबा 9.4696 हैक्टेयर में से 2.3674 हैक्टेयर (1/4 हिस्सा) दक्षिणी –पूर्वी कोना नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 व 8 से 10 क्रमशः ईम्मूदेवी, गेकुदेवी, चम्पादेवी, जमनादेवी, तुलछादेवी, लिछमा, सिवड़ी, संगिता के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी प्राप्त कर, माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner